



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार 6 अप्रैल, 2011/16 चैत्र, 1933

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मार्च, 2011

संख्या मुद्रण (बी)10-10/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ऑफसैट ऑपरेटर वर्ग—III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ऑफसैट ऑपरेटर वर्ग—III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(i) अधिसूचना संख्या मुद्रण (बी) 2-8/99 तारीख 1-5-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ऑफसैट ऑपरेटर वर्ग—III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई, इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ऑफसैट ऑपरेटर वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—ऑफसैट ऑपरेटर
2. पदों की संख्या.—16 (सोलह)
3. वर्गीकरण.—वर्ग—III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान—पे बैंड 10300—34800 रुपये + 3200 रुपये ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—13500 रुपए (स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)
5. “चयन” पद अथवा ‘अचयन पद.—अचयन पद
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/

स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्याथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—(क) अनिवार्य अर्हताएं—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 पास या समकक्ष।

(ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑफसैट मुद्रण प्रैस के ट्रेड में 2 वर्ष का राष्ट्रीय/शिक्षुता प्रमाण पत्र।

(iii) किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार ऑफसैट मुद्रणालय या प्राइवेट ऑफसैट मुद्रणालय जो आई0 एस0 ओ0 का प्रमाण पत्र रखता हो, से ऑफसैट मुद्रण में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं)—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं—

आयु—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता—लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर वाले पद (पदों) की प्रतिशतता। नियुक्त कर्मचारी सतम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा—फीडरमैन आफसैट में से जिनका कम से कम 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.— जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में आफसैट ऑपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ोतरी/नवीकरण की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि में बढ़ोतरी/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त त आफसैटैट ऑपरेटर को रुपये 13500/— की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की यथास्थिति बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 410/— रुपये की रकम (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).—नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को रुपये 13500 की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 410—/रुपये (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियां/अन्य पिछड़े वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

ऑफसैट ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री....., निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), औ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने—ऑफसैट ऑपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार ऑफसैट ऑपरेटर के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में बढ़ोतरी/नवीकरण के

लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि में बढ़ोतरी/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/- रुपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक ऑफसैट ऑपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक ऑफसैट ऑपरेटर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का समापन (पर्यावसान) हो जाएगा। संविदात्मक ऑफसैट ऑपरेटर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

सक्षियों की उपस्थिति में :—

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B)10-10/2010-dated 31-3-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st March, 2011

No. Mudan (B)10-10/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Offset Operator, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)** in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Offset Operator, Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)** Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Offset Operator Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)** Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide Notification No: Mudran (B)2-8 /99 dated 1-5-2001 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under subrule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary (P&S).

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF OFFSET OPERATOR,
CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING
AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of the Post.**—Offset Operator
2. **Number of Post(s).**—16 (Sixteen)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) (Non –Ministerial- Services)
4. **Scale of Pay.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents.*—Rs.10300-34800 + 3200 Grade Pay.

(ii) *Emoluments for contract employees.*—Rs. 13500 /- P.M. (As per details given in Col. No. 15-A).
5. **Whether Selection post or Non-Selection post.**—Non -Selection
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.;

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.**—*Essential Qualification(s).*—(ii) 10+2 or its equivalent from a recognized University/Board of School Education.

(ii) Two years National Trade/Apprenticeship Certificate course in the trade of Offset Printing Press or its equivalent from an I.T.I or an Institution duly recognized by the Central or State Government.

(iii) Three years practical experience in Offset Printing from a Central/State Government Offset printing Press or Private offset Printing Press having ISO certification.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) .—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.—Not Applicable

9. Period of probation if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Feeder man Offset who possess at least three years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any in the grade .

(2) In all cases of promotion ,the continuous adhoc service rendered in the feeder post ,if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to the above ,all person senior to him/her in the respective category / post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post which ever is less , Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-service men recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the

benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test by Himachal Pradesh Subordinate Service Selection board or other recruiting agency, as the case may be, considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission./ other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Offset Operator** in the Department of Printing & Stationery will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—**The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made strictly in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Offset Operator** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13500/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of Rs. 410/- (3% of the minimum of pay band + grade pay) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.13,500 per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.410 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure”B”

Form of contract/agreement to be executed between the Offset Operator & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery, H. P.

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....Between.....Sh/Smt.....S/o/D/o Shri.....R/o.....Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-inafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Offset Operator** on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Offset Operator** for a period of one year commencing on day of.....and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.....And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs.13500** /- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual **Offset Operator** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual **Offset Operator**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Offset Operator** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

 (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.....

 (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

 (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.....

 (Name and full Address)

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मार्च, 2011

संख्या मुद्रण (बी) 2-15/99.— हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,

समसंख्यक अधिसूचना तारीख 9 जुलाई, 2003 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 26 जुलाई, 2003 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कैमरा आपरेटर, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कैमरा आपरेटर, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग कैमरा आपरेटर वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध 'क' में :—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 10300 –34800 /—रुपए जमा 3200 /—रुपए ग्रंडे पे प्रतिमास ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 13500 /—रुपए प्रति मास (स्तम्भ संख्या: 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)”

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) “शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

(ग) स्तम्भ संख्या 15—क के सामने विद्यमान उपाबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी :—

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कैमरा आपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया, जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त कैमरा आपरेटर को 13500/— रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्ति वर्ष (वर्षों)के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 410/— रूपए की रकम (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा, समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13500/— रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 410/— रूपए (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएँ, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूति, और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे एफ आर0,एस0आर0,, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ” ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (मुद्रण एवं लेखन)

उपाबन्ध 'ख'

कैमरा आपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति; जिसे इसमें इसके पश्चात् **‘प्रथम पक्षकार’** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **‘द्वितीय पक्षकार’** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने—कैमरा आपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार कैमरा आपरेटर के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंसेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम 13500/— रुपए प्रतिमास होगी ।
3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त कैमरा आपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त कैमरा आपरेटर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं

होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त कैमरा ऑपरेटर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
6. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this department Notification No: Mudran (B)2-15/99 dated 31-3-2011 , As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 31st March, 2011

No. Mudran (B)2-15/99.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor, Himachal Pradesh , in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Camera Operator, Class-III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion Rules 2003, notified vide Notification of even number dated 9-7-2003 and published in H.P. Rajpatra on 26-7-2003 namely :—

1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department **Camera Operator , Class-III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion (1st amendment) Rules, 2011.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A”.— In Annexure”A” to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department **Camera Operator, Class-III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion Rules, 2003 ;

(a) for the existing provisions against the Col No.4 following shall be substituted namely;

(i) **Pay Scale for regular incumbents.**— Rs. 10300-34800 + 3200 Grade Pay P.M.

(ii) **Emoluments for Contract employees.**— Rs.13500 /- P.M (As per details given in Col. 15-A.)

(b) For the existing provisions against the Col.No.10 following shall be substituted, namely:—

“100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The Contract employees will get the emoluments as given in Col.15- A and will be governed by service conditions as specified in the said column.”

(c) for the existing provision against Col No: 15-A following shall be substituted namely :—

Notwithstanding any thing contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below.

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Camera Operator**, in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his /her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITH IN THE PURVIEW OF HPSSSB :

The Controller, Printing & Stationery Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board,

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Camera Operator** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13500 /- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade Pay.) An amount of Rs. 410/-(3% of minimum of the pay band plus Grade Pay)as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if the contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of Contract Appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Controller Printing and Stationery.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay).The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 410 /- (3% of minimum of pay band + Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind will be admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules .

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically; lead to the termination of the contract. The Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official-duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR,, Leave Rules ,GPF Rules ,Pension Rules and Conduct Rules etc.as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

By Order,
Sd/-
Secretary (P&S).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Camera Operator & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery. H.P.

This agreement is made on this.....day of..... in the year.....Between.....Sh/Smt.....S/o/D/o Shri..... R/o..... Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as **Camera Operator** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Camera Operator** for a period of one year commencing on day of ----- and ending on the day of ----- It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ----- And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **13500** /-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good,

or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Camera Operator** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual **Camera Operator**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Camera Operator** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first , above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.

 (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

 (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.

 (Name and full Address)

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA**NOTIFICATION***Shimla, 2nd April, 2011*

No. HPERC/Dis./479(Reg.).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 35 and regulation 44 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011 and regulations 8 and 10 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines and Formats for Tariff Filing) Regulations, 2005, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Order laying down formats for the Multi Year Tariff filings by the distribution licensee, namely:-

ORDER

1. Short title.—This Order may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Formats for Multi Year Tariff Filings by the Distribution Licensee) Order, 2011.

2. Definitions.- In this order, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003);
- (b) “Annexure” means the annexure to this Order;
- (c) “Form” means the Form annexed to this Order;
- (d) “regulations” means the regulations made under the Act;
- (e) the words and expressions used and not defined in this Order but defined in the Act and the regulations framed thereunder shall have the meanings as assigned them in the Act.

3. Forms for Multi Year Tariff Filings by the Distribution Licensee.-

- (1) The Multi Year Tariff filing by the distribution licensee shall be in the Forms as given in the Annexure to this Order and hosted on the website of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission i.e www.hperc.org
- (2) The forms laid down in the Annexure to this Order, with such modifications or variations, as the circumstances of each case may require, shall be used for the purpose mentioned therein and where no Form is laid down to cover a contingency, Form as may be approved by the Commission shall be used.

By order of the Commission,

Sd/-
Secretary.

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA**NOTIFICATION***Shimla, 2nd April, 2011*

No. HPERC/Trans./479 (Reg.).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 36 and regulation 47 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2011 and regulations 8 and 10 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines and Formats for Tariff Filing) Regulations, 2005, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Order laying down formats for the Multi Year Tariff filings by the transmission licensee, namely:-

ORDER

1. Short title.—This order may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Formats for Multi Year Tariff Filings by the Transmission Licensee) Order, 2011.

2. Definitions.—In this order, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003);
- (b) “Annexure” means the annexure to this Order;
- (c) “Form” means the Form annexed to this Order;
- (d) “regulations” means the regulations made under the Act;
- (e) the words and expressions used and not defined in this Order but defined in the Act and the regulations framed thereunder shall have the meanings as assigned them in the Act.

3. Forms for Multi Year Tariff Filings by the Transmission Licensee.-

- (1) The Multi Year Tariff filing by the transmission licensee shall be in the Forms as given in the Annexure to this Order and hosted on the website of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission i.e www.hperc.org
- (2) The forms laid down in the Annexure to this Order, with such modifications or variations, as the circumstance of each case may require, shall be used for the purpose mentioned therein and where no Form is laid down to cover a contingency, Form as may be approved by the Commission shall be used.

By order of the Commission

Sd/-
Secretary.

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA**NOTIFICATION***Shimla, 2nd April, 2011*

No. HPERC/Gen./479(Reg.).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 35 and regulation 47 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Hydro Generation Tariff) Regulations, 2011 and regulations 8 and 10 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines and Formats for Tariff Filing) Regulations, 2005, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Order laying down formats for the Multi Year Tariff filings by the generating company, namely:-

ORDER

1. Short title.—This order may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Formats for Multi Year Tariff Filings by the Generating Company) Order, 2011.

2. Definitions.—In this order, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003);
- (b) “Annexure” means the annexure to this Order;
- (c) “Form” means the Form annexed to this Order;
- (d) “regulations” means the regulations made under the Act;
- (e) the words and expressions used and not defined in this Order but defined in the Act and the regulations framed thereunder shall have the meanings as assigned them in the Act.

3. Forms for Multi Year Tariff Filings by the Generating Company.-

- (1) The Multi Year Tariff filing by the generating company shall be in the Forms as given in the Annexure to this Order and hosted on the website of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission i.e www.hperc.org
- (2) The forms laid down in the Annexure to this Order, with such modifications or variations, as the circumstance of each case may require, shall be used for the purpose mentioned therein and where no Form is laid down to cover a contingency, Form as may be approved by the Commission shall be used.

By order of the Commission

Sd/-
Secretary.

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मार्च, 2011

संख्या: एल.सी.डी.-एफ (1)-13/2010.—राज्य सरकार की यह राय है कि “मां श्री आदि हिमानी चामुण्डा मन्दिर”, जिला कांगड़ा, के बेहतर प्रशासन और इससे सम्बद्ध परिसम्पत्तियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए लोकहित में पग उठाए जाने समीचीन और आवश्यक हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में क्रम संख्या-19 की प्रविष्टि में “मन्दिर” शब्द के पश्चात् किन्तु “जिला कांगड़ा” शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“और मां श्री आदि हिमानी चामुण्डा मन्दिर”

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।

[Authoritative English text of the Department Notification No. LCD-F(1)-13/2010 dated 31-3-2011 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LANGUAGE, ART AND CULTURE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, 31st March, 2011

No. LCD-F (1)-13/2010.—Whereas the State government is of the opinion that it is expedient and necessary in the Public interest to take steps for the better administration and for the protection and preservation of properties appurtenant to “**Maa Shri Adi Himani Chamunda Temple**”, District Kangra.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Subsection (1) of Section 29 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No.18 of 1984), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add in entry at Sr. No.19 of Schedule-I of the Act *ibid*, the following words after the word “Temple” but before the word “District Kangra”, namely:-

“and Maa Shri Adi Himani Chamunda Temple.”

By Order,
MANISHA NANDA,
Principal Secretary (Language, Art & Culture).